न्यायालय श्री मान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा,

जिला रीवा म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्र0 /2014

S10
26/8/14

R-3364-III/14 Rs.15/-

1- तेजा प्रसाद तनय स्व0 लक्ष्मणप्रसाद ब्रा0

2- भैयालाल तनय स्व0 लक्ष्मणप्रसाद ब्रा0

3- मोतीलाल तनय स्व0 लक्ष्मणप्रसाद सभी का पेशा खेती निवासीगण ग्राम दुआरा, थाना व तहसील मनगवां, जिला रीवा म0प्र0 ------ आवेदकगण

विरुद्ध

1- गुलाववती पत्नी स्व0 विद्यापति ब्रा0

2- गोविन्दनारायण पिता स्व0 विद्यापति ब्रा0

3- कृष्णप्रसाद पिता स्व0 विद्यापति ब्रा0 सभी सा0 दुआरा, थाना व तह0 मनगवां, जिला रीवा ------- ------ अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 3364–तीन/2014 जिला – रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–2–2015	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण में उपलबध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। 2/ अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 10–7–2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकों द्वारा तहसीलदार द्वारा खसरा कं 149 पर पंजी कमांक 1 दिनांक 16–8–2010 किये गये नामांतरण के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अनुबिभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट विवेचना करते हुये कि खसरे की छायाप्रति के अनुसार खसरा कं 149 अपीलार्थीगणों की पति/पिता की भूमि थी इसलिए उनका जानकारी का हक बनता है और अपीलाधीन आदेश की जानकारी उन्हें नहीं थी। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 (4) के अनुसार **"तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के प्श्चात तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात, क्षेत्र–पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू–अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टी करेगा।"** स्पष्ट है संहिता के प्रावधानों के अनुरूप ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकों की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया, जिसमें कोई	

त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण का गुण–दोषों पर निराकरण होना है जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य